संवाद

आज़ादी की राह पर

गौतम भान

दिल्ली के उच्च न्यायालय ने धारा 377 पर अपना ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते वक़्त बड़ी ही सूझ-बूझ से शब्द चुने— न्यायाधीश शाह और न्यायाधीश मुरलीधर ने कहा, *"अगर भारत के संविधान का कोई एक बुनियादी उसूल है, तो वह है समावेश की भावना। इस न्यायालय का मानना है कि संविधान में बसा यह मूल्य हमारे समाज का एक ऐसा अभिन्न हिस्सा है जिसे हमने पीढ़ी दर पीढ़ी सींचा है। भारतीय संवैधानिक कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एलजीबीटी लोगों के बारे में आमतौर पर फैली ग़लतफ़हमियां हमारे आपराधिक कानून पर ज़बरन थोपी जाएं। हम यह भुला नहीं सकते कि भेदभाव समानता का विरोधी है, और केवल समानता भाव का आदर करने से ही हर व्यक्ति को सम्मान मिल सकेगा।"*

दिल्ली उच्च न्यायालय का कमरा नं. 1, विषय-सूची का विषय नं. 1, 2 जुलाई की सुबह, 10:30 का समय। चंद कार्यकर्त्ताओं के हाथों में प्रवेश-पास, सभी धारा 377 के ख़िलाफ़ दशक-भर के संग्राम के कुछ पल याद करते हुए। और बस इन सहज शब्दों के ज़रिये और उस इलेक्ट्रॉनिक पास के सहारे, दशकों से चल रहे आंदोलन और आठ सालों से चल रही कानूनी लड़ाई का समापन। और इतना काफ़ी था। जब फ़ैसला पढ़ा जा रहा था, कमरे में भावनाओं का आलम महसूस करने लायक था। हमारे आंसू बह रहे थे, न सिर्फ़ इसलिए कि यह हमारी जीत थी, पर इसलिए भी कि इस फ़ैसले ने हमें आज़ादी बख़्श दी थी। यह फ़ैसला सम्मान के बारे में है। यह फ़ैसला उस हिन्दुस्तान के बारे में है जिसकी कल्पना नेहरू ने की थी — एक ऐसा हिन्दुस्तान जो आख़िर अपनी बाहें फैलाकर उन सभी को अपनाये जो यहां रहते हों। यह फ़ैसला बराबरी, सम्मान, अधिकार जैसे शब्दों के बारे में है जो लाखों क्वीयर नागरिकों की ज़िंदगियों में गहरायी से उतरकर, उन्हें एहसास दिलाते हों कि अब अपने ही देश की ज़मीन पर, वो भी इत्मीनान से अपने कदम बढ़ा सकेंगे।

यह फ़ैसला हमें वापस अम्बेडकर तक ले जाता है, जिनका ज़िक्र करते हुए न्यायाधीशों ने हमें याद दिलाया कि किस लगन से वह उस संविधान के लिए लड़े थे जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनका आग्रह था कि हमारे देश की कानून व्यवस्था एक संवैधानिक नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए, न कि समाज में प्रचलित नैतिकता पर। सार्वजनिक नैतिकता यह तय नहीं कर सकती कि राज्य के हित में क्या है, बल्कि संविधान में निर्धारित उसूल ही इसका फ़ैसला कर सकते हैं। आने वाले दिनों में, ज़ाहिर है, मीडिया में भी और आमतौर पर लोगों के बीच नैतिकता पर खूब बहस होगी, और इस दौरान हमें अपनी-अपनी व्यक्तिगत नैतिकता के अलावा उस नैतिकता को हर दम सामने रखना होगा, जो नागरिक होने के नाते हम सब की नैतिकता है।

साभार: पोस्टर बिमेन, ज़ुबान प्रकाशन

यह फ़ैसला समानता के बारे में है। संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लेख करते हुए न्यायाधीशों ने तय किया कि भेदभाव के ख़िलाफ़ अधिनियमों में 'सेक्स' शब्द के मायने में 'यौनिक प्रवृत्ति' भी शामिल होनी चाहिए। जेंडर या सेक्स के आधार पर भेद-भाव के

ख़िलाफ़ सभी नियम-कानून अब यौनिक प्रवृत्ति के आधार पर भेदभाव के भी ख़िलाफ़ माने जायेंगे। अनुच्छेद 15 को अपने फ़ैसले का अहम हिस्सा बनाकर न्यायाधीशों ने हमें इस बात से अवगत करवाया है कि क्वीयर लोगों को आपराधिक न मानने का मतलब है उनके साथ हर मौके पर सम्मान और समानता के साथ व्यवहार करना — चाहे वो काम की जगह हो या अस्पताल, अपना घर हो या कोई सार्वजनिक स्थल।

बहरहाल, इस फ़ैसले को हम सिर्फ़ क्वीयर होने के नाते न देखकर, इसे अपने यौनिक प्रवृत्ति या जेंडर या मज़हब या जाति या भाषा या प्रदेश से जुड़ी पहचान से हटकर, महज़ भारतीय होने के नाते समझें, तो किस तरह समझें? देशभर में अधिकारों के लिए तरह-तरह के आंदोलन और संघर्ष चलते आये हैं और अभी भी जारी हैं। लोग सरकार और पूरी व्यवस्था के प्रति निराश और कुंठित हैं। कइयों का कहना है कि भारत में, ख़ास करके इस नये भारत में, बदलाव लाना नामुमकिन है, जिसकी चमक-दमक ने उसे उस भारत से अलग कर दिया है जिसमें ज़्यादातर लोग बसते हैं। लेकिन इस लेखक सहित हम सबके राज्य-व्यवस्था में लुप्त हो रहे विश्वास को इस फ़ैसले ने एक नया बल दिया है। यह इस बात का संकेत है कि हमारा संविधान अभी ज़िंदा है, और आंदोलन या संघर्ष की कभी-कभी जीत भी होती है। यह हर भारतीय नागरिक के लिए खुशी की बात है — क्योंकि आज सिर्फ़ क्वीयर अधिकारों की ही नहीं बल्कि हम सभी के अधिकारों की रक्षा हुई है।

आगे सावधानी से काम लेना ज़रूरी होगा। क्वीयर आंदोलन का हमेशा ही मानना रहा है कि सम्मान पाने की लड़ाई सिर्फ़ अदालत में जीत लेना काफी नहीं होगा। हमारा संघर्ष उन सभी स्थानों में जारी रहेगा जहां नफ़रत और भेदभाव का सीधा असर क्वीयर लोगों के जीवन पर पड़ता हो — परिवारों में, डॉक्टरों के क्लीनिक में, पुलिस थाने में, कार्यालयों में और सड़कों पर। कानूनी बदलाव के चलते यह सब रातों रात नहीं बदलेगा। हमारी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन इस फ़ैसले ने हमारे बंधे हाथ खोल ज़रूर दिये हैं। लोकमत बदलने के लिए तर्क-वितर्क का हमारा यह खेल अब ऐसे समतल मैदान पर खेला जायेगा, जहां नागरिक होने के नाते हम सब बराबरी से एक दूसरे का सामना कर सकेंगे। फ़ैसले के शब्द तो हमारे साथ हैं ही, अब अदालत के बाहर की दुनिया में भी इनमें जान फूंकने का मौका मिल गया है।

सबसे बड़ा परिवर्तन तो क्वीयर लोगों के दिलों दिमाग में होगा। ख़ुद को अपना पाना, अपने-आप पर शर्मिन्दगी महसूस न करना, अधिकार पाने के अपने अधिकार में विश्वास रखना, अक्सर यह एक लंबा और अकेलेपन से घिरा सफ़र होता है। अपने आप को बराबर का नागरिक मान पाने में और भी ज़्यादा वक़्त लगता है। जब कोई क्वीयर औरत आईने में देखती है तो उसे दिखने वाले प्रतिबिंब तक इस फ़ैसले से किस तरह प्रभावित होता है, इस सच्चाई के मायने और मूल्य दोनों का ही शब्दों में बयान मुश्किल है।

उचित होगा कि धारा 377 के बारे में अपनी राय देने वाले भारत सरकार के मंत्री अपनी 'सर्वसम्मति' तक पहुंचने से पहले इस फ़ैसले को अच्छी तरह पढ़ लें। अपने आप से पूछ लें कि वे फ़ैसले के किन सिद्धांतों पर फिर ग़ौर करना चाहते हैं। साथ ही याद रखें कि नेहरू और अम्बेडकर ने सभाओं में कुशल राजनीतिज्ञ कहलाने वाले आदमी और औरतों की कल्पना की थी। अब समय आ गया है कि वे हम सबको साथ लेकर उस काल्पनिक सभा में लौटें।

समावेश की भावना, उदारता, संवैधानिक नैतिकता, समानता। उस भूतपूर्व कल्पना वाले भारत में ये शब्द सिर्फ़ क्वीयर लोगों के संदर्भ में या समलैंगिकता का उल्लेख करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुए थे। ये शब्द एक बार फिर पूरी तरह से भारतीय बनने जा रहे हैं। न्यायाधीशों ने हमें याद दिलाया है कि ये उसी भारतीय संस्कृति में बसे मूल्य हैं जिनकी "रक्षा" करने के लिए इतने लोग उतारु हैं। हम "गे" हों या "स्ट्रेट", यौनिकता को लेकर, समलैंगिकता को लेकर हमारे जो भी विचार हों, हम सबको पहचानना होगा कि इस फ़ैसले में एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संवैधानिक, स्वतंत्र भारत की विजय हुई है। हम सबको इस पर गर्व करना चाहिए। आज सभी क्वीयर इन्सान गर्व और ख़ुशी के साथ अपने आपको आम नागरिक मान सकते हैं- आज़ाद, सबके समान, एक नये माहौल में चैन की सांस लेते हुए।

आज क्वीयर लोग सबके हमवतन बन गये हैं। आज आख़िरकार वे महसूस कर पा रहे हैं कि उनके भी पैरों तले ज़मीन है।

साभारः समता की नींवं पर, क्रिया